

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री रमेशसिंह पुत्र श्री हरिसिंह रावत निवासी नया बाड़िया (आडावाला) बली जस्साखेड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 63/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 09.10.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक: एफ. 1()सू0अ0,05/2023/671 दिनांक 13.09.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना का आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2023 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 21.07.2023 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में इप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गयी उसका संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, जिला परिषद राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 535-536 दिनांक 24.07.2023 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(1)(2) में सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई। आवेदन में इप्सित सूचना के संबंध में सहायक निदेशक लोक सेवाएं जिला राजसमन्द के पत्रांक 63 दिनांक 27.07.2023 से उपलब्ध रिकार्ड अनुसार सूचना प्रार्थी को जरिये डाक उपलब्ध करवा दी गई एवं आवेदन में इप्सित शेष सूचना हेतु आवेदन तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द को नियमानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(2) के तहत अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई है। क्रमांक: भू.अ./आर.टी.आई/2023/1262-1264 दिनांक 19.09.2023 अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में पटवारी बली की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बली के नक्शे की लट्ठा एवं मोमिया शीट उपलब्ध नहीं होने से उक्त खसरा नम्बर की वांछित नक्शा ट्रेस दिया जाना संभव नहीं है। बन्दोबस्त संवत् 2032 के दौरान ग्राम बली का नक्शा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया था एवं वर्तमान में उस नक्शे को विभाग द्वारा</p>	



राजस्व रिकार्ड के मुताबिक तरमीम कार्य करवाने के पश्चात नक्शे को बटर शीट पर प्रिन्ट करवा बटर शीट का उपयोग किया जा रहा है उक्त वर्तमान बटर शीट नक्शे से आराजी नम्बर 5907/277 एवं 7005/277 का नक्शा प्रार्थी को उनके पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2023 अन्तर्गत लो0से0गा0अधि0 2011 के क्रम में दिनांक 22.06.2023 को ही उपलब्ध करवा दिया गया था। इसके अतिरिक्त संवत् 2035 से 2050 का अन्य कोई नक्शा मौजूद नहीं है। एवं प्रार्थी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2023 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रम में सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./आर.टी.आई./2023/1228-1230 दिनांक 14.09.2023 से प्रेषित कर दिये जाने से एवं अब कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना सहायक निदेशक लोक सेवाएं राजसमन्द के पत्रांक 63 दिनांक 27.07.2023 से उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वांछित सूचना प्रार्थी को जरिये डाक उपलब्ध करवा दी गई एवं आवेदन में इप्सित शेष सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./आर.टी.आई./2023/1228-1230 दिनांक 14.09.2023 से प्रेषित/उपलब्ध कर दिये जाने एवं अब कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं होने से जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद